

शुभ,

श्री सत्येन्द्र मिश्र,
विशेष अधिव.
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सयदाप केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुमान

मानक दिनांक 27 मई, 2000

विषय:- केन्द्र केन्द्रित स्कूल बेलथरा रोड, बलिया को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनावृत्त प्रमाण पत्र दिया जाना ।

सहीदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे बत करने का निदेश हुआ है कि केन्द्र केन्द्रित स्कूल बेलथरा रोड, बलिया को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनावृत्त प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनावृत्त नहीं है:-

- 111 विद्यालय की संकीर्ण तोतावटी का समय समय पर स्वीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस पूर्णकाल स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तयकृत विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये नियमित गुरुक से अधिक गुरुक नहीं दिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनावृत्त शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय कार दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पुनः मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था केन्द्रित एवं शिक्षापरिषद के कार्यकारी को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यकारी को अनुसूचित क्षेत्रानाओं तथा अन्य भागों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।

Audle
Principal
St. Xavier's School
Belthara Road, Ballia, (U.P.)

Shree
CHAIRMAN
St. Xavier's Shikshan Sansthan
Belthara Road, Ballia (U.P.)

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तों वगैरह बाधेगी और उन्हें तृप्तता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें तैय्या उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिजार्ड नियमित रूपसे/पंचिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के कृषानुसोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह बाधा जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक वा गिराविलता करती वा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदत्त अनापत्ति प्रमाण बन बाधत ले किया जायेगा ।

भारतीय,

। सुरेन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव

पृ० नं०-१११११/१५-७-२०००, लदरिनर्स

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उज्जैनगढ़ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ।
- 4- निरीक्षक, जॉन भारतीय विद्यालय, उज्जैन, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट कैथरिन स्कूल बेलथरा रोड, बलिया ।

जता है,

। सुरेन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव

Shack
Principal
St. Xavier's School
Belthara Road, Ballia, (U.P.)

Shiv
CHAIRMAN
St. Xavier's Shikshan Sansthan
Belthara Road, Ballia (U.P.)